कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्र./ 55 /न.पा.नि./स्वास्थ्य शाखा/2015–16/2015,बीरगांव,दिनांक 03/06/2015

Short Tender Notice

निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नालों की सफाई हेतु पात्र ठेकेदारों/फर्मो से पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 11.06.15 अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 11.06.15सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.06.15 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 15.06.15 सायं 4.00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	अनु.लागत लाख रू.	अमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.
1	निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नालों का सफाई कार्य	7.00	5250	750

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि मे कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www. nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 56 /न.पा.नि./स्वास्थ्य शाखा/2015–16/2015,बीरगांव,दिनांक 03/06/2015

प्रतिलिपि :–

01. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड मे चस्पा हेतु सादर प्रेषित।
02. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
03. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र .... रायपुर को आगामी साधारण अंक मे एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु । छ.ग. संवाद द्वारा निर्धारित फांट साईज से बड़े साईज में प्रकाशित करने पर भुगतान के लिए निकाय उत्तरदायी नहीं होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित नालों का सफाई कार्य

//नियम व शर्तें//

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता – (1) निविदाकार को कम से कम 04 नग चैन माउण्टेड एक्सकवेटर, 08 नग हाईवा व कम से कम 01 नग बैक–हो–लोडर वाहन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किराया नामा तथा वाहनों का बीमा प्रस्तुत करना होगा। (2) वाहन ऑपरेटरों का लायसेंस (3) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र (4) आयकर पंजीयन प्रमाण–पत्र इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जावेगी।
07. सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा। इन दोनों लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे में **सील बंद कर** आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से नगर निगम में जमा करना होगा। यदि निविदाकर्ता पंजीयन प्रमाण पत्र या अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करना चाहे तो उसे 'ब' लिफाफे में रखकर प्रस्तुत कर सकेंगे।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी. आर. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
11. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र 'ब' नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईटwww.nagarnigambirgaon.comअथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका क्रं. (4) एवं (5) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव के नाम से बैंक ड्रॉफट की मूल प्रति लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर बैंक ड्रॉफट प्राप्त होने के उपरांत पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्रं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
12. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
13. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
14. स्वीकृत निविदाकर्ता को सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर नॉन – ज्यूडिशियल स्टॉम्प में अनुबंध करना होगा।
15. ठेकेदार का जो संसाधन निकाय से अनुबंधित होंगे वे अनुबंध अवधि में अन्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

16. नाला सफाई कार्य की मॉनिटरिंग निकाय में पदस्थ स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अभियंता द्वारा किया जावेगा।
17. कचरा परिवहन करते समय ट्रॉली को तालपत्री/पालीथीन तिरपाल से ढंककर ही कचरा परिवहन किया जाना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में बिना ढंके कचरा परिवहन नहीं किया जावेगा।
18. वाहन खराब होने अथवा किसी भी कर्मी की छुट्‌टी एवं बीमार होने की स्थिति में एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
19. नाला सफाई कार्य में संलग्न समस्त संसाधन जैसे चैन माउण्टेड एक्सकवेटर, हाईवा व बैक–हो–लोडर आदि के लिए डीजल,ऑयल एवं मेंटेनेंस की व्यवस्था, वाहन चालक एवं कम से कम दो सुपरवाईजरों की व्यवस्था, एवं वाहनों तथा चालकों एवं सुपरवाईजरों की पूर्ण बीमा में होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना होती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
20. अनुबंधकर्ता के द्वारा रखे गये कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर पालिक निगम, बीरगांव में कार्य किया है, भविष्य में कभी भी नगर निगम सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे और न ही उपरोक्त आधार पर इसका मांग कर सकेगें। अर्थात् निविदा समाप्ति पर कार्यरत मजदूरों के पुनः कार्य में लेने की जवाबदारी निकाय की नहीं होगी।
21. ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा मारपीट इत्यादि करने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
22. श्रमिकों के कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाकर दूसरा श्रमिक लगाना होगा।
23. ठेकेदार को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अभियंता/स्वछता निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा।
24. देयक से शासन निर्देशानुसार आयकर व अन्य कटौतियां जो लागू होंगी काटी जावेगी।
25. अनुबंध की शर्तों के उल्लघंन की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जायेगी।
26. अमानत राशि/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् किया जावेगा।
27. प्राप्त निविदा दर निगोशिएशन का अधिकार निकाय के पास सुरक्षित रहेगा।
28. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव का निर्णय अंतिम होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.